

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती रूखसाना परवीन व्याख्याता उर्दू राउमावि. परशुरामद्वारा जयपुर पूर्व, जयपुर का निम्नांकित विवरणानुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर पूर्व, जयपुर की अभिशंषा व चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	अवकाश अवधि	दिवसों की संख्या
1	उपार्जित अवकाश (नियम 91)	28.02.2020 से 09.07.2020	133 दिवस
2	कोविड 19 क्वारेन्टाईन अवकाश (आदेश क्रमांक F.1(1)FD/Rules/2012 दिनांक 12.05.2020 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 1951 वो-II के पार्ट II अपेन्डिक्स I में किए गए प्रावधानान्तर्गत)	10.07.2020 से 23.07.2020	14 दिवस

उक्त अवकाशों का इन्द्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक 03/09/2020

क्रमांक:- शिविरा/भा/संस्था/सी-5/विदेश स्वीकृति/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
5. संबंधित प्रधानाचार्य.....।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर